

शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्

लोक शिक्षण संचालनालय

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/शी.मु.प.परि./2020/321

नवा रायपुर 25/11/2020

प्रति,

1/ जिला शिक्षा अधिकारी,
बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, गरियाबन्द महासमुन्द, धमतरी,
दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर, कोरबा, कबीरधाम, कोरिया,
रायगढ़, कांकेर, जशपुर,
(छत्तीसगढ़)

2/ समस्त केन्द्राध्यक्ष,
शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्
(छत्तीसगढ़)

विषय:-शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् छ.ग. रायपुर द्वारा आयोजित तिथि दिनांक 13 एवं 20 दिसम्बर, 2020 में परिवर्तन किये जाने बाबत ।

संदर्भ:-इस परिषद् की विज्ञप्ति क्रमांक/शी.मु.प.परि./2020/306-307, नवा रायपुर दिनांक 15/10/2020

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि परिषद् की हिन्दी मुद्रलेखन, अंग्रेजी मुद्रलेखन एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन की परीक्षाएं दिनांक 13 एवं 20 दिसम्बर, 2020 को आयोजित की गई थी। प्रदेश के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2020 को NTSC (राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा) एवं NMMS (राष्ट्रीय साधन-सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति) परीक्षाएं सम्पन्न होंगी। इस कारण परिषद् द्वारा पूर्व में आयोजित होने वाली परीक्षाएं दिनांक 13 एवं 20 दिसम्बर, 2020 को स्थगित करते हुए परीक्षाओं की संशोधित तिथियां निम्नानुसार आयोजित होंगी :-

संशोधित परीक्षा कार्यक्रम

1	हिन्दी मुद्रलेखन	रविवार, 17 जनवरी 2021
2	अंग्रेजी मुद्रलेखन, हिन्दी शीघ्रलेखन, एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन	रविवार, 24 जनवरी 2021

शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

अध्यक्ष/संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित

(राजेश कुमार सिंह)

सचिव,

शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा, परिषद्
छत्तीसगढ़

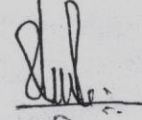
क्रमांक / शी.मु.प.परि. / 2020 / 322

नवा रायपुर 25 / 11 / 2020

प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सचिव, माननीय मंत्री, महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 2/ प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
- 3/ संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर छ.ग.।
- 4/ आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर रायपुर।
- 5/ संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पषिद छ.ग. शंकर नगर, रायपुर।
- 6/ समस्त जिला शिक्षा, अधिकारी, छत्तीसगढ़।
- 7/ समस्त प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष, शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा केन्द्र छत्तीसगढ़।
- 8/ समस्त पंजीकृत पुद्रलेखन शीघ्रलेखन संस्थाएं छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


सचिव,

शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा, परिषद
छत्तीसगढ़